आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 2/अंक 4/दिसंबर 2022
Received: 09/12/2022; Accepted: 12/12/2022; Reviewed: 20/12/2022 Published: 24/12/2022

वैवाहिक कुरीतियों का यथार्थ दस्तावेज़ : 'बेटी वियोग' नाटक

- चिप्पी एम आर
शोधार्थी
हिन्दी विभाग
कोच्चिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
682022
ईमेल –chippymr@gmail.com
मो नं - 8281132711

चिप्पी एम आर, वैवाहिक कुरीतियों का यथार्थ दस्तावेज़ : 'बेटी वियोग' नाटक, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 2/अंक 4 / दिसंबर 2022,(310-315)

शोध सार

स्त्री जीवन हमेशा समस्याग्रस्त और संघर्षमय रहा है। सामाजिक समस्याएँ और धार्मिक रूढ़ियों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। एक संवेदनशील रचनाकार और नाटककार होने के कारण भिखारी ठाकुर ने अपने समय के ज्वलंत स्त्री समस्या को अपनी रचनाओं के ज़रिए अभिव्यक्त किया है। 'बेटी वियोग' नाटक के ज़रिए उन्होंने अपने समय में प्रचलित बेटी बेचने की प्रथा का पर्दाफाश किया है। तत्कालीन भोजपुरी समाज के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और धार्मिक रूढ़ियों के फलस्वरूप दबी- ढ़की स्त्री जीवन के यथार्थ चित्र को भी प्रस्तुत नाटक में उन्होंने उभारा है। इतिहास गवाह है कि इस नाटक के लेखन और प्रदर्शन के पश्चात् भोजपुरी इलाके में बेटी बेचने की प्रथा में थोड़ा-बहुत बदलाव आ गया था।

शोध आलेख

समाज में स्त्री का स्थान, उसका अस्तित्व और उसकी आज़ादी के बारे में वाद-विवाद तथा संवाद खूब हो रहा है। युगानुरूप समाज में उसकी स्थिति और स्थान भी बदलते हुए नज़र आते हैं। वैदिक कालीन समाज में स्त्री का बहुत सम्मान रहा था। स्त्री शिक्षा को भी उस समय प्रमुखता दिया जाता था और धार्मिक कार्यों में भी स्त्री को पुरुष के समान अधिकार एवं स्थान प्राप्त था। उमा शुक्ल का मानना है कि "स्त्री का यह युग भारत के

इतिहास का 'स्वर्णिम युग' कहा जा सकता है।"[i] लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक न रहा। वह धीरे-धीरे सामाजिकों के नज़र में लक्ष्मी से कुल्टा बनने लगी। उसको शूद्रों की कोटि में गिनने लगे। मध्य युग तक आते-आते पुरुषसत्तात्मकता ने स्त्री को कई बंधनों में बाँधकर पशु सम बनाया। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने स्त्री जीवन को दुखों का गाँठ बना दिया। मध्य युग की स्त्रियों की स्थिति के बारे में डॉ.सुगम आनंद का कहना है कि "इस युग में पर्दा प्रथा हिंदू परिवारों में भी अनिवार्य हो गयी। अनेक सुल्तानों ने भी पर्दा को प्रोत्साहित किया। नगरों में पर्दा प्रथा अभिजात्य का प्रतीक बन गयी थी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण था कि हिंदू परिवारों में रोज़ी-रोटी का महत्व अधिक बढ़ गया था। बेटी की हिफाज़त का बहुत ध्यान रखा जाता था। बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह इत्यादि सामान्य रूप से प्रचलित थे। जौहर के साथ सती प्रथा भी प्रचलित थी। कन्या शिशु की हत्या भी की जाने लगी थी। निम्न वर्ग की निर्धन एवं निसहाय स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, किन्तु उनका पति धन पर पूरा अधिकार था।"[ii] फलतः नारी जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित हो गया। आधुनिक युग में भी स्थितियों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी स्त्री को वह स्थान और इज़्ज़त नहीं मिले है जिसका वह हकदार है। पितृसत्तात्मक समाज में पीढ़ि-दर-पीढ़ि स्त्री का जो शोषण और उत्पीड़न होता आया है वह आज भी नए-नए रूप धारणकर दोहराया जा रहा है। समाज के आधे हिस्से ने संपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता को अपने तक सीमित कर रखा है। अतः नए ज़माने में पढ़ी-लिखी औरत नित नई-नई समस्याओं का सामना कर रही है। इस प्रकार वैदिक काल से समकालीन समय तक आते-आते स्त्री जीवन कई उतार चढ़ाव से होकर गुजर रहा है।

यह सर्वस्वीकृत है कि साहित्य समाज का दर्पण है क्योंकि उसमें सामाजिक सच्चाइयों का प्रतिबिंब अंकित है। इसलिए ही प्रत्येक युग के साहित्य में स्त्री की अस्मिता और उसकी समस्याओं को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। भिखारी ठाकुर अपने समय के एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज में हाशिए पर खड़ी स्त्री को अपने नाट्य साहित्य के केंद्र में रखकर स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवेचन-विश्लेषण किया है। उनकी हरेक रचना किसी-न-किसी प्रकार नारी जीवन से संबंधित है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने समस्त जीवन में स्त्रियों को जिन-जिन समस्याओं का सामना करना पडता है वे सारी समस्याएँ उनके नाटकों में अभिव्यक्ति पाती है। नाई जाति के होने के कारण गाँव के प्रत्येक घर में भिखारी ठाकुर का प्रवेश संभव था। उन्हें घर-घर का बिल्ली माना जाता था। धार्मिक कार्यों में भी ब्राह्मणों की सहायता के लिए नाई जाति के लोगों की मांग थी। छोटे बच्चों के बाल काटने जैसी रस्म भी उनके द्वारा संपन्न होता था। साथ ही चिट्ठी-न्योता पहूँचाने का कार्य भी ये लेग करते थे। बेटियों का संदेश माइके तक पहूँचाने का कार्य भी इसी जाति के द्वारा संपन्न होता था। इसी वजह से उन्हें अपने तत्कालीन समय की स्त्रियों के जीवन को, उनकी समस्याओं को समझने और सँवारने का मौका मिला था। इसलिए उन्होंने अपने नाटकों के ज़रिए समाज के स्त्री जीवन के वास्तविक चित्र को उकेरकर उसकी आलोचना किया है। अतः उनके नाटकों में रौंदे हुए स्त्री अस्मिता दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में अपने नाट्य रचना के द्वारा उन्होंने स्त्री की दबी हुई वेदना को वाणी दी है। इस दृष्टि में उनका 'बेटी वियोग' शीर्षक नाटक उल्लेखनीय है। एक संवेदनशील रचनाकार होने के कारण उन्होंने तत्कालीन स्त्री जीवन के यथार्थ दस्तावेज़ को प्रस्तुत नाटक के ज़रिए दर्शाया गया है।

मानव जाति के इतिहास में विवाह एक अत्यंत प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में से एक है । भारतीय समाज में वैदिक काल से ही विवाह व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विचारों, विश्वासों तथा रिवाज़ों का प्रचलन रहे हैं । प्रत्येक समय में विवाह से संबंधित कई समस्याएँ भी उभरकर आयी हैं । उनमें एक प्रमुख मुद्दा विवाह योग्य स्त्री के उम्र को लेकर रहा है । " विवाह के समय प्रारंभिक काल में सामान्यत: युवति की आयु पंद्रह-सोलह वर्ष होती थी । जबकि महाकाव्यकाल में सोलह से अठारह वर्ष तक । बुद्ध काल में कन्या की आयु बारह वर्ष होते ही विवाह योग्य समझ लिया जाता था । मौर्यकाल से गुप्तकाल तक की नारी की स्थिति काफी गिर चुकी थी । बाल विवाह होने लगे थे ।"[iii] कई सामाजिक-धार्मिक कारणों से यह कुप्रथा आगे भी दोहराने लगी । भारतीय समाज में एक प्रकार से यह अंधविश्वास प्रचलित रहा था कि यदि लड़की रजस्वला होने से पहले उसकी शादी न करा दिया जाए तो माता-पिता के नसीब में नरक होंगे । फलस्वरूप आठ या नौ साल की नाबालिक बच्ची की शादी बूढ़े-बुज़ुर्गों से करा देती थी । भिखारी ठाकुर के ज़माने में भी बाल विवाह एक आम बात थी । इसका एक प्रमुख कारण रहा था दहेज प्रथा । उस दौर में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था एवं नीतियों की वजह से किसान गरीबी के गड्ढे में गिर चुके थे । दो वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ किसान केलिए अपनी बेटी की शादी के खर्च उठाना असंभव-सा था । 'बेटी वियोग' नाटक में नायिका उपातो के माँ-बाप लोभा और चटक अपनी आर्थिक तंगी से परेशान है । बेटी की शादी कराने और दहेज देने के लिए वे असमर्थ हैं। अतः वे अपनी बेटी का विवाह उसे ही बेचकर कराने का फैसला करते हैं ।

" जहवाँ सदिया कइल जाई, तहवाँ से कुछ रोपेया ले लिआई । जेह से सदियो हो जाई आ ऊ खेतवा बाझल बा, तवना छूट जाई ।"[iv]

उस ज़माने में चटक जैसे अनेक किसान ऐसे थे जो मज़बूरिवश अपनी बेटी की शादी किसी अमीर बूढ़े आदमी के साथ करा कर बदले में पैसे लेते थे । यह क्रियाकलाप बेटी को बेचने से कम नहीं था । यह एक प्रथा के रूप में समाज में व्याप्त था । चटक और उपातो गाँव के एक बिचौलिया पंडित की सहायता से एक अमीर बूढ़े आदमी को ढ़ूँढ़ निकालता है जिसे अपनी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। इस तरह बूढ़े वर को ढूँढ़कर निर्धन घरों की छोटी लड़कियों की शादी कराने में पण्डित-पुजारियों की भूमिका कम नहीं थी। इस प्रकार का बाल विवाह उनके लिए आमदनी का ज़रिया भी रही थी । चटक ज़मींदार के पास गिर्वी पड़ी ज़मीन को पुनः प्राप्त करने के लिए उपातो की शादी झांटूल नामक एक अमीर, बीमार और बूढ़े व्यक्ति के साथ कराने का निर्णय लेता है । पैसे के लालच के लिए तय किए गये रिश्ते को रिश्तेदार और पड़ोसी ठुकराते हैं ।

"बेटी बेचि के धइल माल। तोहरा सिर पर चढ़ल काल॥
चढ़ल बंस के पानी गइल। जब से तोहार जबाना भइल॥
अइसन बंस में जमल कूर। दया-धरम के कइल दूर॥"[v]

चटक पर इन भर्त्सनाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । वह झाँटूल के साथ उपातो की शादी कराती है । शादी के समय अपने बूढ़े जर्जर पति को देखकर उपातो पूरी तरह टूट जाती है । विदाई के समय वह रोती कलपती हुई अपने पिता से कहती है कि

"हाय पिता, हाय मइया मेरी। मइया तोहरा गोड़ के चेरी।।

पत्नी बालक पति बूढ़ा जवरे। होखत सुमंगली उठावत कवरे।।
अनहित हित काम नहिं आवत। केहु ना बाबू के समुझावत॥"[vi]

बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी हो जाने से उपातो के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार पिता के लालच के कारण पुत्री की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी के बाद जीवन के प्रतिक्षण बिताना उसके लिए कठिन हो जाती है। फिर भी पति का साथ निभाने के लिए, उसका सेवा करने के लिए वह मजबूर है।

भारतीय समाज में स्त्री चुप रहने के लिए बाध्य है। उसकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसलें हमेशा दूसरों द्वारा लिए जाते हैं। विवाह या होनेवाले पति के बारे में उसकी राय कभी भी कोई पूछता नहीं है। जिसके साथ शादी हो जाती है उम्र भर ही नहीं बल्कि पति के कफन में भी साथ निभाना उसकी नियति समझी जाती थी। इसलिए हमारे समाज में कई स्त्रियाँ सती हुई हैं। लेकिन उपातो इस स्थिति का अपवाद निकलती है। वह अपने माइके वापस चली जाती है और पिता से खुलकर सवाल करती है।

"रोपेया गिनाई लिहल, पगहा धराई दिहल;
चेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी।"[vii]

चंद रुपयों के लिए बेटी की ज़िंदगी का सौदा करनेवाले पिता से यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे वह अपने पति की अवस्था का बयान करती हुई कहती है कि

"आँखि से सूझत कम, हरदम खींचत दम।
मथवा के बरखा चवरवा हो बाबूजी हुकर-हुकर छाती।
करत बाटे दिन-राती अधजीव दुलहा पसन कैअल हो बाबूजी।
घरी-घरी होता झरी, साक से भरल बा नरी नरक बीगत दिन बीती मोर हो
बाबूजी॥"[viii]

तत्कालीन समय में स्त्रियाँ अपने दुःख से गले लगाकर मौन साधने के लिए विवश थी। घर की बेटियों के प्रति भी भेड़- बकरियों के साथ के व्यवहार होते थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देगा उसके साथ लड़की की शादी करा देते थे। शादी के लिए लड़कों का चयन करते समय संपत्ति एक मात्र मापदंड रह गया था। अन्य योग्यताओं के लिए कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन " ... उन दिनों पितृसत्तात्मक समाज में बेटी का पिता से अपने जीवन की त्रासदियों पर सवाल कर लेना ही बड़ी क्रांतिकारी कदम थी।"[ix] उपातो तत्कालीन समय की उन बेटियों का प्रतीक था जो बाल विवाह के उपरांत हताश जीवन जीने के लिए मजबूर थी। लेकिन अपने समय के अन्य लड़कियों की तरह उपातो चुप न रही। वह पिता से प्रश्न करती है और उन्हें एक प्रकार से चेतावनी देने का साहस भी करती है। उपातो के ज़रिए भिखारी ठाकुर ने तत्कालीन समय की बेटियों को अपने मौन को तोड़ने की प्रेरणा दिया है।

उपातो के पीछे-पीछे उसके पति भी माइके में पहूँचता है। किंतु उपातो ससुराल जाना नहीं चाहती है। लेकिन शादी होने के बाद लड़की का अपने माइके में रहना समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। शादी के बाद अपना पीहर उसके लिए पूर्ण रूप से अन्य हो जाता है। उसकी दुनिया पति और ससुराल तक सीमित रह जाती है। उसे हर हाल में अपने पति के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ती है। मंगल सूत्र एक प्रकार से उसकी ज़िंदगी को फांसी के फंदे के समान कस लेता है। प्रेमचंद का मानना है कि " यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है, जो कभी

हाथ से न निकलेगी और मंड़प उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है, जो जीवन-पर्यंत सिर से न उठेगी "[x] उपातो इस बंधन से मुक्त होना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। वह विरोध करती है तो माँ-बाप उसे पातिव्रत्य का पाठ सिखाते हुए कहते हैं कि

"पतिव्रत धर्म रखि एहि के आनंद भाख, इहे शिक्षा सीता से मिलत मोर बबुई।

अंध चाहे बधिर, कुरूप चाहे बलही, कुष्ट चाहे बुद्ध खिसिआह मोर बबुई।"[xi]

सीता का उदाहरण देते हुए पिता कहते हैं कि जिस प्रकार सीता ने अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए पति का साथ दिया था उसी से शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। पति चाहे अंधा, बहरा, कुरूप हो या क्रोधी वह तो परमेश्वर है। उसके प्रति अपने कर्तव्य निभाना पत्नी का दायित्व है। लेकिन यहाँ पातिव्रत्य धर्म के दोहरेपन पर नाटककार ने सवाल उठाए हैं जो केवल स्त्रियों के लिए लागू होती है।

'बेटी वियोग' नाटक में भिखारी ठाकुर ने तत्कालीन समय की वैवाहिक कुरीतियों के भीषण यथार्थ को एक कुशल चितेरे की भाँति उकेरा है। उन्होंने स्त्री जीवन की विडम्बनात्मक स्थितियों का यथार्थ दस्तावेज़ जनता के सामने प्रस्तुत किया है जो नाटक की प्रमुख विशेषता भी है। कहते हैं कि 'बेटी बेचवा' नाम से ख्याति प्राप्त इस नाटक के प्रदर्शन में पहले कुछ विरोध होने के बावजूद भी इससे प्रभावित होकर भोजपुरी इलाके में होनेवाले बाल विवाह की संख्या में थोड़ी-बहुत कमी आ गयी थी। वास्तव में सामाजिक-धार्मिक बुराइयों में जकड़े हुए स्त्री जीवन का पर्दाफाश ही नाटककार ने प्रस्तुत नाटक के ज़रिए किया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

[i]Shukla. Uma, Bharatiya naari asmita ki pahachaan, Lokbharati prakashan, 2007, P.14

शुक्ल. उमा, भारतीय नारी अस्मिता की पहचान, लोकभारती प्रकाशन, 2007, पृ.14

[ii]Anand. Dr. Sugam, Bhartiya Itihas mein Naari, Anubhav Publishing House, 2015, P.93

आनंद. डॉ.सुगम, भारतीय इतिहास में नारी, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, 2015, पृ.93

[iii]Dharmpal, Naari: Ek Vivechan, Bhavna Prakashan, 1992, P.99

धर्मपाल, नारी:एक विवेचन, भावना प्रकाशन, 1992, पृ.99

[iv]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.74

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.74

[v]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.75

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.75

[vi]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.87

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.87

[vii]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.90

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.90

[viii]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.91

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.91

[ix]Singh. Dhanajay, Bhikhari Thakur aur Lokdharmita, Ananya Prakashan, 2019, P.109

सिंह. धनंजय, भिखारी ठाकुर और लोकधर्मिता, अनन्य प्रकाशन, 2019, पृ.109

[x]Premchand, Vardaan, Maples Press, 2015, P.33

प्रेमचंद, वरदान, मेपिल प्रस, 1912,पृ.33

[xi]Singh. Nagendra Prasad, Bihar-Rastrabhasha-Parishad, 2015, P.93

सिंह. नागेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर रचनावली, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 2015, पृ.93

****